Filling no-5311/2022
S.T.No-837/2022,राज्य बनाम मोनू

UPJB010060742022

Presented on : 11-10-2022
Registered on : 11-10-2022
Decided on : 12-07-2023
Duration : 0 years, 9 months, 1 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (प्रथम), अमरोहा।
उपस्थित–श्री ईश्वर सिंह, (एच०जे०एस०)
(जे०ओ०कोड नं०–यू.पी.2688)
सत्र परीक्षण संख्या–837/2022

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन।**

बनाम

मोनू पुत्र भूरा, निवासी ग्राम सांथलपुर अधेक की मढैया, थाना आदमपुर, जिला अमरोहा।
.....**अभियुक्त।**

अ०सं०–157/2022
धारा–376 भा०दं०सं०
थाना–आदमपुर।
जिला–अमरोहा।

निर्णय

1. मु०अ०सं०–157/2022 धारा 376 भा०दं०वि०, थाना आदमपुर, जिला अमरोहा में पुलिस थाना आदमपुर द्वारा अभियुक्त मोनू के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. आरोप पत्र पर दिनांक 30.09.2022 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा के तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिये जाने के उपरान्त पत्रावली सेशन सुपुर्द की गयी तथा सत्र परीक्षण सं० 837/2022 पर दर्ज होकर अंतरण द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुई।

3. प्रस्तुत प्रकरण स्त्री के साथ बलात्कार के आरोप से संबंधित है। मा० उच्चतम न्यायालय व मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार व सीआर०पी०सी० व आई०पी०सी० के प्रावधानों के आलोक में पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना है। निर्णय में पीड़िता को **"पीड़िता"** शब्द से ही संबोधित किया गया है।

4. संक्षेप में अभियोजन आक्षेप यह है कि वादी मुकदमा मनोज कुमार ने एक तहरीर लिखकर दिनांक 26.07.2022 को थाना आदमपुर पर इस आशय की दी कि दिनांक 27.07.2022 की शाम करीब 4:30 बजे मेरी लड़की पीड़िता उम्र करीब पन्द्रह वर्ष अपने खेत पर कूड़ा डालने गयी थी। वहाँ कूड़ा डालते ही मेरे गांव के मोनू पुत्र भूरा आया व आते ही मेरी लड़की को पकड़कर बाजरे के खेत में ले गया व खेत में ले जाकर मेरी लड़की के साथ गलत कार्य किया। मेरी लड़की ने शोर मचाया तो मोनू वहाँ से भाग गया। मोनू को मेरे गांव के सुशान्त पुत्र गंगादास व धर्मेन्द्र पुत्र कैलाश व ग्राम सांथलपुर बीच की मढ़ैया के भीम पुत्र नौबहार सिंह ने

Digitally signed by Ishwar Singh
Date: 2023.07.12 17:30:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भागते हुए देखा। घर आकर मेरी लड़की ने मुझे सारी बात बताई। रिपोर्ट को थाने आया हूँ। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। इस तहरीर के आधार पर दिनांक 28.07.2022 को समय 21:45 बजे थाना आदमपुर पर अभियुक्त मोनू के विरूद्ध धारा 376 भा०दं०वि०, 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–5 दर्ज की गयी, जिसका विवरण दिनांक 28.07.2022 को समय 21.40 बजे जी.डी. नं०– 78 प्रदर्श क– 6 के अन्तर्गत अंकित किया गया।

5. दौरान विवेचना पीड़िता का मेडिकल कराया गया तथा पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० व अन्तर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० दिनांक 30.07.2022 को कराया गया तथा विवेचक द्वारा वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित किये गये। पीड़िता के शैक्षिक प्रमाण पत्र में पीड़िता की आयु अठारह वर्ष से अधिक होने पर मामले में धारा 3/4 पोक्सो एक्ट का लोप किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त मोनू के विरूद्ध धारा 376 भा०दं०वि० के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क–11 न्यायालय में प्रेषित किया। सी०जे०एम० द्वारा संज्ञान लिये जाने के उपरान्त मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण प्रकरण सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया है।

6. विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त मोनू के विरूद्ध दिनांक 23.11.2022 को धारा 376 भा०दं०वि० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजनपक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा मनोज, पी०डब्लू० 2 पीड़िता, पी०डब्लू० 3 धर्मेन्द्र सिंह , पी०डब्लू० 4 सुरेन्द्र सिंह (प्रधानाचार्य), पी०डब्लू० 5 सुशांत राव, पी०डब्लू० 6 एच.सी. 85 असकर खां, पी०डब्लू० 7 डॉ० ममता कुमारी तथा पी०डब्लू० 8 पुलिस उपनिरीक्षक सत्यपाल दीक्षित तथा पी०डब्लू० 9 पुलिस उपनिरीक्षक रामप्रकाश शर्मा को परीक्षित कराया गया तथा अभिलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श क–1 तहरीर (पी०डब्लू०–1), प्रदर्श क–2 बयान 164 दं०प्र०सं० (पी०डब्लू०–2), प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 क्रमशः S.R. रजिस्टर व टी०सी० (पी०डब्लू०–4), प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 क्रमशः एफ०आई०आर० व जी०डी० (पी०डब्लू०–6), प्रदर्श क–7 मेडिकल रिपोर्ट (पी०डब्लू०–7), प्रदर्श क–8 नक्शा नजरी (पी०डब्लू०–8), प्रदर्श क–9 फर्द कपड़े पीड़िता (पी०डब्लू०–8), प्रदर्श क–10 सुपुर्दगीनामा (पी०डब्लू०–8), प्रदर्श क–11 आरोपपत्र (पी०डब्लू०–9), प्रदर्श क–12 F.S.L. Report (पी०डब्लू०–9), प्रदर्श क–13 माल मुकदमा F.S.L. में दाखिल किये जाने की रसीद (पी०डब्लू०–9) प्रस्तुत किये गये।

8. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अभियोजन कथानक एवं साक्षीगणों की साक्ष्य को धारा 313 द0प्र0सं0 में अभियुक्त के समक्ष रखा गया तो उसके सम्बंध में उसका यह कथन है कि उनके विरूद्ध तहरीर गलत है और गलत साक्ष्य दिया है, अभियोजनपक्ष द्वारा गलत प्रपत्र प्रेषित करना और अभियोजन साक्षियों द्वारा उन्हें गलत रूप से साबित करना बताया है तथा रंजिशन मुकदमा चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार करते हुए अभियुक्त मोनू ने अपने को निर्दोष होना बताया है।

9. बचावपक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में कोई मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. मामले का समुचित विवेचन किये जाने हेतु साक्षियों के सशपथ कथनों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है–

पी0 डब्लू0–1 वादी मुकदमा मनोज कुमार द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि मेरी लड़की ने मुझे दिनांक 27.07.2022 को अपने खेत पर शाम के समय करीब 4:00 बजे कूड़ा डालने गई थी। मेरी ही गांव के मोनू पुत्र भूरा ने मेरी लड़की को पकड़कर बाजरे के खेत पर ले गया और खेत में मेरी लड़की के साथ गलत काम किया। मेरी लड़की के शोर मचाने पर वहां से भाग गया। मोनू को भागते हुए सुशांत व धर्मेन्द्र व भीम ने देखा था। मैंने इस घटना की तहरीर थाने पर लिखकर दी थी। जो पत्रावली पर मौजूद है। मेरे हस्ताक्षर हैं। साबित

करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर पी०डब्लू० 1 ने कथन किया कि मैंने कोई घटना अपनी आँखों से नहीं देखी है। मेरी बेटी से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने लोगों के कहने से रिपोर्ट लिखा दी थी। मेरे गांव में पार्टी बंदी चल रही थी। सुशांत, धर्मेन्द्र व भीम, मोनू के विरोधी पक्ष के थे। इनके बताने के आधार पर मैंने रिपोर्ट लिखा दी थी। ये लोग मेरे साथ थाने गये थे। इन्होंने ही तहरीर तैयार कराई थी और मेरे हस्ताक्षर करा लिये थे। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था।

गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा सहायक जिला शासकीय अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी पी०डब्लू० 1 मनोज कुमार द्वारा यह कथन किया गया कि पुलिस ने मुझसे पूछताछ नहीं की थी। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है। अपना भला–बुरा जानती है। यह कहना गलत है कि मेरा फैसला हो गया है और आज मैं सही बात ना बता रहा हूँ।

उपरोक्त साक्षी वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है परंतु प्रतिपरीक्षा में विपरीत कथन किया है। उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। साक्षी ने लोगों के कहने से रिपोर्ट लिखाने की बात कही है। उक्त साक्षी का साक्ष्य विरोधाभासी है तथा विश्वसनीय नहीं है। उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित नहीं है।

11. पी0 डब्लू0–2 पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि मैं अपने गाँव के मोनू को जानती हूँ। दिनांक 27.07.2022 को जब मैं साढ़े चार बजे दिन अपने खेत में कूड़ा डालने गयी थी तो वहां मेरे गांव के मोनू ने मुझे बाजरे के खेत में ले जाकर बुरा काम/दुष्कर्म नहीं किया था, न ही मैंने शोर मचाया था। ना मेरे साथ इस तरह की कोई घटना हुई थी। न्यायालय के आदेश पर पीड़िता के बयान 164 सीआर०पी०सी० का लिफाफा खोला गया तो उसने 164 सीआर०पी०सी० के बयान में लगे फोटो व हस्ताक्षर को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही बयान है, जो मैंने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दिया था। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा सहायक जिला शासकीय अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी पी०डब्लू० 2 पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया कि मेरा पुलिस ने कोई बयान नहीं लिया था। गवाह को धारा 161 Cr.P.C. का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया। कैसे लिख दिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती हूँ। पुलिस मुझे मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष बयान कराने के लिए लाई थी, जो बयान मैंने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दिया था वह मैंने पुलिस के कहने व घरवालों के कहने व बताने पर दिया था। मैं रोजाना कूड़ा डालने अपने खेत पर जाती थी। मोनू ने मेरे साथ कभी हंसी–मजाक व छेड़छाड़ नहीं की और न ही कभी बुरी नजर रखी। उसने कभी मेरे साथ गलत काम नहीं किया। यह कहना गलत है कि मेरा मोनू से समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि समझौता होने के कारण मैं गलत बयान दे रही हूँ।

बचाव पक्ष की ओर से जिरह करने पर पी०डब्लू० 2 ने कथन किया कि मोनू मेरे गांव का रहने वाला है। गाँव रिश्ते में मेरा भाई लगता है। हमेशा बहन की तरह ही समझता और सम्मान करता है। मैं भी उसे भाई की तरह मानती हूँ। उसने कभी मेरे साथ दुष्कर्म/गलत काम नहीं किया। आज मैं न्यायालय में अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के सही बयान दे रही हूँ।

साक्षी पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अपने साथ अभियुक्त द्वारा बलात्संग की घटना से स्पष्ट इंकार किया है। अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर भी साक्षी पीड़िता ने ऐसा कोई कथन नहीं किया, जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो।

12. पी0 डब्लू–3 धर्मेन्द्र सिंह द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि पीड़िता मेरी सगी चचेरी बहन लगती है। दिनांक 27.07.2022 को शाम के करीब साढ़े चार बजे मैं अपने खेत पर नहीं गया था। ना ही मैंने अपने गाँव के मोनू को भागते हुए देखा। न ही मैंने पीड़िता के शोर की आवाज सुनी और न ही पीड़िता ने मुझे मोनू के द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने वाली बात नहीं

बताई। मैने कोई घटना नहीं देखी।

गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा सहायक जिला शासकीय अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी पी०डब्लू० 3 द्वारा यह कथन किया गया कि मोनू मेरे गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही मेरा कोई बयान लिया था। गवाह के धारा 161 Cr.P.C. का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया था। पुलिस ने मेरा बयान कैसे लिख दिया। मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूँ। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिम से मिल जाने के कारण सही बयान नहीं दे रहा हूँ।

उक्त साक्षी पी०डब्लू० 3 को तहरीर में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अंकित किया गया है, परंतु न्यायालय में परीक्षित किये जाने पर उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और घटना को देखे जाने से स्पष्ट इंकार किया।

13. पी0 डब्लू0–4 सुरेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य (इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल) द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि मैं आज पीड़िता की जन्मतिथि से संबंधित अभिलेख लेकर आया हूँ। पीड़िता का दाखिला हमारे विद्यालय में दिनांक 15.07.2010 को कक्षा एक में हुआ था। पीड़िता ने हमारे विद्यालय से कक्षा तीन पास किया था। कक्षा चार में प्रवेश के बाद लगातार अनुपस्थिति के कारण पीड़िता का नाम विद्यालय से काट दिया गया था। पीड़िता का समस्त विवरण S.R.No–311 में अंकित है, जिसमें पिता का नाम मनोज व माता का नाम चन्द्रप्रभा व जन्मतिथि– 11.03.2004 अंकित है। S.R. रजिस्टर की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति दाखिल की गयी। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पत्रावली पर पीड़िता की टी०सी० मूलरूप में मौजूद है, जिसमें पिता का नाम मनोज व माता का नाम चन्द्रप्रभा व जन्मतिथि –11.03.2004 अंकित है, जो हमारे विद्यालय की है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर व मुहर है। साबित करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी पी०डब्लू० 4 द्वारा यह कथन किया गया कि पीड़िता की जन्मतिथि 11.03.2004 है। पीडिता का प्रवेश उसके माता पिता द्वारा हमारे विद्यालय में कराया गया था।

साक्षी पी०डब्लू० 4 प्रधानाचार्य को पीड़िता के विद्यालय के विवरण के आधार पर पीड़िता की आयु साबित करने हेतु परीक्षित कराया गया था, जिसके अनुसार पीड़िता घटना की तिथि को अठारह वर्ष से अधिक की होना पायी गयी है। अन्य तथ्यों से उक्त साक्षी का कोई संबंध नहीं है।

14. पी0 डब्लू0–5 सुशान्त राव द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि पीड़िता मेरे गांव की रहने वाली है। दिनांक 27.07.2022 को शाम के करीब 4:30 बजे मैं अपने घर पर ही था। मैं अपने मोबाईल की लीड लेने चौराहे पर नहीं गया था। न ही मैंने मनोज के बाजरे के खेत से किसी के चीखने–चिल्लाने की आवाज सुनी थी। न ही धर्मेन्द्र ने मेरे सामने पीड़िता से रोने का कारण पूछा था। न ही पीड़िता ने मेरे सामने धर्मेन्द्र को बलात्कार करने की कोई बात बताई थी। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था। मैंने कोई घटना नहीं देखी।

गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा सहायक जिला शासकीय अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर साक्षी पी०डब्लू० 5 ने कथन किया कि साक्षी को 161 Cr.P.C. का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया। कैसे लिख लिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ। हमारा मुल्जिम से कोई समझौता नहीं हुआ। मोनू मेरे गांव का है। यह कहना गलत है कि मेरा मुल्जिम से समझौता हो गया हो और मोनू मेरे गांव का होने के नाते उसे बचाने के किये मैं आज सही बात ना बता रहा हूँ।

उक्त साक्षी पी०डब्लू० 5 को तहरीर में चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अंकित किया गया है, परंतु न्यायालय में परीक्षित किये जाने पर उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया और घटना को देखे जाने से स्पष्ट इंकार किया।

15. पी0 डब्लू0–6 H.C. 85 असकर खां द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 28.07.2022 को मैं थाना आदमपुर में प्रधान लेखक के पद पर तैनात था। उस दिन वादी की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०–157/2022 धारा–376 भा०दं०वि० व 3/4 पॉक्सो एक्ट

बनाम मोनू की चिक एफ०आई०आर० कांस० संदीप कुमार को बोल–बोलकर कम्प्यूटर पर टाईप कराई थी। एफ०आई०आर० पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर थाना प्रभारी को हस्ताक्षर हैं, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। जी.डी. की एक प्रति पत्रावली पर मौजूद है। जो मेरे बोलने पर कांस० संदीप कुमार ने कम्प्यूटर पर टाईप की थी, जिसका G.D.No–78 समय 21:40 दिनांकित 28.07.2022 है। जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर पी०डब्लू०–6 ने कथन किया कि वादी थाने पर अकेला आया था। पहले जी.डी. फिर एफ०आई०आर० टाईप हुई थी। जी.डी. में 20 मिनट टाईप करने में लगे थे। एफ०आई०आर० पर मेरे व कांस० संदीप के हस्ताक्षर नहीं है। वादी किससे तहरीर लिखवा कर लाया था, मुझे नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि मैंने वादी मुकदमा से मिलकर गलत एफ०आई०आर० दर्ज की है।

उक्त साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी.डी. कायमी को साबित किया गया है। औपचारिक साक्षी है।

16. पी0 डब्लू0–7 डॉ० ममता कुमारी, महिला चिकित्साधिकारी द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 30.07.2022 को मैं उपरोक्त पद व स्थान पर तैनात थी। उस दिन रोस्टर के अनुसार मेरी ड्यूटी संयुक्त जिला अस्पताल पर लगी थी। उस दिन पीड़िता को महिला आरक्षी लिटिल मलिक के द्वारा मेडिकल परीक्षण मेरे पास लाया गया। मेडिकल की सहमति पीड़िता से लिखाकर व निशानी अंगूठा लगवाकर ली गई।

सामान्य परीक्षण में पीड़िता के वक्षस्थल विकसित थे। योनि व बगलों के बाल मौजूद थे। बाह्य परीक्षण में मेडिकल के समय पीड़िता के शरीर पर कोई चोट का निशान मौजूद नहीं था। आंतरिक परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कोई चोट का निशान मौजूद नहीं था। हाईमन टूटा हुआ तथा घाव भरा हुआ था। योनिद्रव्य की दो स्लाईड तैयार कर F.S.L. भेजी गई थीं। रक्त का नमूना 3 M.L. लेकर F.S.L. भेजा गया था। मेडिकल रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई, जो पत्रावली पर मौजूद है। मेरे लेख हस्ताक्षर में है। साबित करती हूँ। जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। डा0 की राय में लैंगिक उत्पीड़न की कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है।

बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर पी०डब्लू० 7 ने कथन किया कि हाईमन साइकिल चलाने से व उछल–कूद से भी टूट सकता है।

उक्त साक्षी द्वारा पीड़िता का मेडिकल किया गया है। चिकित्सकीय परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं हुआ, जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो और पीड़िता के साथ बलात्संग किये जाने की पुष्टि होती हो।

17. पी0 डब्लू0–8 सत्यपाल दीक्षित, उपनिरीक्षक द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 28.07.2022 को मैं थाना आदमपुर में एस.आई. के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे मु०अ०सं०–157/2022 धारा–376 आई०पी०सी० व 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम मोनू की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। दिनांक 29.07.2022 को नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी व बयान पीड़िता 161 सीआर०पी०सी० अंकित कराकर नकल सी.डी. की गई व निरीक्षण घटना स्थल वादी की निशानदेही पर किया गया। नक्शा नजरी बनाया गया। नक्शा नजरी पत्रावली पर मौजूद है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। साबित करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। दिनांक 30.07.2022 को मेडिकल रिपोर्ट का व पीड़िता के शैक्षिक प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। बयान एफ०आई०आर० लेखक अंकित किया गया। पीड़ित के पहने कपड़े कब्जे में लिये गये। जिसकी फर्द तैयार की गई व बयान गवाह जयंती चन्द्रप्रभा अंकित किया गया। फर्द पत्रावली पर मौजूद है। जो मेरे लेख हस्ताक्षर में है। साबित करता हूँ।जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया है। दिनांक 01.08.2022 को X–Ray रिपोर्ट व मेडिकल आयु प्रमाणपत्र का अवलोकन किया गया। पीड़िता का धारा 164 दं०प्र०सं० का बयान कराकर अवलोकन किया गया। जिसकी नकल सी.डी. की गई। C.W.C के आदेशानुसार पीड़िता को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। सुपुर्दगीनामा पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर मेरे व पीड़िता व पीडिता के माता–पिता के हस्ताक्षर हैं। जिस पर प्रदर्श क– 10 डाला गया। दिनांक 02.08.2022 को प्रधानाचार्य के बयान अंकित किये गये। जिनके द्वारा पीड़िता की टी.सी. प्राप्त कराई गई थी। जिसकी नकल सी.डी. की गई, जिसमें पीड़िता की उम्र 18 वर्ष 5 माह 16 दिन पाई गयी थी। जिसके आधार

पर धारा– 3/4 पोक्सो एक्ट का लोप किया गया था। दिनांक–05.08.2022 को अभियुक्त मोनू को गिरफ्तार कर बयान अंकित किये गये। इसके बाद विवेचना मुझसे अलग होकर अन्य विवेचक के सुपुर्द की गई।

बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर पी०डब्लू० 8 ने कथन किया कि नक्शा नजरी में अभियुक्त के आने का व भाग जाने का स्थान नहीं दर्शाया गया है, जो सड़क ओकपुरा को जाती है, वो पक्की सड़क है। उस पर लोगों का आवागमन है। नक्शा नजरी में साक्षी सुशांत व धर्मेन्द्र का देखना भी नहीं दर्शाया गया है। नक्शा नजरी में बाजरे की फसल को टूटा होना नहीं दर्शाया गया है। घटना स्थल पर कोई जबरदस्ती या हिंसात्मक के कोई निशान नहीं पाये गये थे। विवेचना में जाने की रवानगी जी.डी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। विलंब से एफ०आई०आर० लिखवाने का कोई कारण वादी द्वारा ना दिया गया और न बताया गया। यह कहना गलत है कि मैं मौके पर ना गया हूँ और सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की है। यह कहना गलत है कि मैंने निष्पक्ष विवेचना न की है।

उक्त साक्षी मामले का पूर्व विवेचक है। उक्त साक्षी द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–8, फर्द कपड़े पीड़िता प्रदर्श क–9 तथा सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क–10 को साबित किया गया है। औपचारिक साक्षी है।

18. पी0 डब्लू0–9 रामप्रकाश शर्मा, उपनिरीक्षक द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 06.08.2022 को मैं थाना आदमपुर में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। उस दिन पूर्व लंबित विवेचना सी०ओ० साहब के क्रम में दिनांक 06.08.2022 को मु०अ०सं० 157/2022 ग्रहण की थी। उस दिन पूर्व किता सी.डी का अवलोकन किया गया था। दिनांक 08.08.2022 को पीड़िता से संबंधित माल को F.S.L.मुरादाबाद में कांस० अनिल कुमार से दाखिल कराया गया था और उक्त आरक्षी के बयान अंकित किये थे। दिनांक 10.08.2022 को महिला चिकित्सक ममता के बयान अंकित किये गये थे। दिनांक 15.08.2022 को घटना के चश्मदीद साक्षी धर्मेन्द्र सिंह व सुशान्त के बयान अंकित किये गये व अभियुक्त मोनू के विरूद्ध सम्पूर्ण विवेचना व पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपपत्र सं० 154/2022 न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली में मौजूद है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। साबित करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। F.S.L. रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। माल मुकदमा F.S.L. में दाखिल किये जाने की रसीद पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर प्रदर्श क– 13 डाला गया।

बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर पी०डब्लू० 9 ने कथन किया कि मैंने पूर्व विवेचक का बयान अंकित नहीं किया था। घटना स्थल का निरीक्षण पूर्व विवेचक के द्वारा किया गया था। मैंने नहीं किया था। मैंने पीड़िता व वादी मुकदमा से कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही बयान लिया था। मैंने कांस० अनिल कुमार का इस तरह का बयान अंकित नहीं किया था कि माल मुकदमा F.S.L. में दाखिल होने तक माल मुकदमा इन्टेक्ट था। अभियुक्त का मेडिकल मैंने नहीं कराया था। पूर्व विवेचक द्वारा कराया गया होगा। अभियुक्त का डी०एन०ए० मैंने नहीं कराया था। पूर्व विवेचक द्वारा कराया गया होगा। पूर्व विवेचक द्वारा किता की गई सी.डी. का अवलोकन मैंने किया था। सी.डी. में डी०एन०ए० के संबंध में कुछ लिखा था या नहीं, आज ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा निष्पक्ष विवेचना न की गई हो और सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की गई है। रवानगी वापसी की जी.डी. पत्रावली पर मौजूद नहीं है और न ही मैं आज साथ लाया हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने गलत साक्ष्य के आधार पर झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया है।

उक्त साक्षी मामले का विवेचक है। उक्त साक्षी द्वारा मामले में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। उक्त साक्षी ने आरोपपत्र प्रदर्श क–11, F.S.L. रिपोर्ट प्रदर्श क–12 व रसीद प्रदर्श क–13 को साबित किया है। औपचारिक साक्षी है।

19. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता अर्थात पी0 डब्लू0–1 मनोज द्वारा करायी गयी है। पी0 डब्लू0–1 मनोज ने अभियोजन कथन का समर्थन करते हुये साक्ष्य दिया है, उसके कथन की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से भी होती है। यद्यपि साक्षी पीड़िता पी०डब्लू० 2 ने अपने सशपथ कथनों में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, परंतु पीड़िता द्वारा अपने बयान

अन्तर्गत धारा 161 व 164 दं०प्र०सं० में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्संग किया गया है। अन्य साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजनपक्ष ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्त मोनू दोष सिद्ध कर दंडित किये जाने योग्य है।

20. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्णतया संदेह के घेरे में आती है। पीड़िता ने घटना का समर्थन नहीं किया है। वादी मुकदमा ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अन्य स्वतंत्र साक्षीगण ने भी घटना को देखे जाने से इंकार किया है।चिकित्सीय साक्ष्य से भी पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्संग किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है, न ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजनपक्ष कथन युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है और अभियुक्त मोनू दोष मुक्त होने योग्य है।

21. न्यायालय द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने व पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

22. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन कथन को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भार अभियोजनपक्ष पर ही रहता है। इस विधिक कसौटी पर आयी हुई साक्ष्य की समीक्षा की जायेगी।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 27.07.2022 को वादी के खेत पर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 मनोज कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया और तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया, परंतु प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक के विपरीत कथन करते हुए कहा कि उसकी बेटी से उसकी कोई बात नहीं हुई थी, उसने लोगों के कहने पर रिपोर्ट लिखा दी थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने के पश्चात् अभियोजन द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई कथन साक्षी द्वारा नहीं किया गया जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो। साक्षी पीड़िता पी०डब्लू० 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी घटना से स्पष्ट इंकार करते हुए कथन किया कि अभियुक्त मोनू ने उसे बाजरे के खेत में ले जाकर बुरा काम नहीं किया था और न ही उसने कोई शोर मचाया था और न ही उसके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है। साक्षी पीड़िता को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर भी ऐसा कोई कथन पीड़िता ने नहीं किया, जिससे घटना की पुष्टि होती हो और अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया जाना साबित होता हो। घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू० 3 धर्मेन्द्र सिंह व पी०डब्लू० 5 सुशान्त राव ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया है। दोनों साक्षीगण पक्षद्रोही साक्षी हैं। चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू० 7 डॉ ममता कुमारी ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया था। साक्षी चिकित्सक ने कथन किया है कि उसकी राय में लैंगिक उत्पीड़न की कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती।

पीड़िता द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। पीड़िता पक्षद्रोही साक्षी घोषित की गई है। वादी मुकदमा द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया। तथ्य के अन्य साक्षी भी पक्षद्रोही साक्षी जिन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में जहां तथ्य के साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया हो, वहाँ मात्र औपचारिक साक्षियों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित नहीं माना जा सकता। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा लगाये गये आरोप सन्देह से परे सिद्ध नहीं होते हैं।

23. उपरोक्त विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मोनू द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया जाना सन्देह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्त मोनू अपराध अन्तर्गत धारा 376 आई०पी०सी० के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

24. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन साक्षी सं० 1 वादी मनोज कुमार के विरूद्ध मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपराध के संबंध में संक्षिप्त विचारण हेतु आपराधिक प्रकीर्ण वाद धारा 344 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत पंजीकृत कर नोटिस दिया जाना समीचीन और न्यायसंगत है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मोनू को आरोपित अपराध धारा 376 आई०पी०सी० से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त मोनू जिला कारागार में निरूद्ध है। यदि अभियुक्त अन्य किसी प्रकरण में कारागार में निरूद्ध न हो, तो उसे अविलंब रिहा किया जाए।

धारा 437A दं०प्र०सं० के अनुपालन में इस निर्णय के विरूद्ध संभावित किसी अपील अथवा याचिका में नोटिस निर्गत होने की दशा में अभियुक्त मोनू द्वारा सक्षम मा० अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु छः माह की अवधि के लिए अंकन 50,000/– रुपये का व्यक्तिगत् बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत किये जाए।

अभियोजन साक्षी सं० 1 वादी मनोज कुमार के विरूद्ध दं०प्र०सं० की धारा 344 के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद पंजीकृत कर उसे नोटिस निर्गत किया जाये।

दिनांक–12.07.2023

(ईश्वर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(प्रथम),
अमरोहा।

आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक–12.07.2023

(ईश्वर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(प्रथम),
अमरोहा।